भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4393

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

छत्तीसगढ़ और झारखंड में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन

4393. श्री बृजमोहन अग्रवालः

श्री दुलू महतोः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़ में अभी भी एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार छत्तीसगढ़ में जल की कमी, जल प्रदूषण और जल संरक्षण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस रणनीतियां कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़ में जल प्रबंधन में डेटा, प्रौद्योगिकी और नवाचार की क्या भूमिका है;

(घ) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जल संसाधनों की निगरानी और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी आधुनिक तकनीकी पहलें शुरू की गई हैं;

(ङ) छत्तीसगढ़ और झारखंड में 'जल संचय जन भागीदारी' पहल के तहत किस प्रकार जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है;

(च) क्या सरकार उक्त पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या छत्तीसगढ़ में जल शोधन संयंत्रों में डिजाइन करो-बनाओ-चलाओ-सौंपो (डीबीओटी) मॉडल का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो क्या सरकार जल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में इस मॉडल को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में स्थायी जल उपयोग सुनिश्चित करने, जल अभिशासन में सुधार और जल की कमी, प्रदूषण और संरक्षण संबंधी चुनौतियों का सामना करने हेतु एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) छत्तीसगढ़ के लिए अनिवार्य है। जल संकट, प्रदूषण और संरक्षण की चुनौतियों से निपटने के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाया है। जल संकट के संबंध में, पानी की कमी वाले क्षेत्रों की

पहचान करने, कमी को दूर करने की योजनाएँ बनाने, संरक्षण उपायों को लागू करने और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने संबंधी प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जल प्रदूषण से निपटने की कार्यनीति में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, संदूषण स्तरों को मापने, उपचार योजनाओं को लागू करने और नियमित निगरानी बनाए रखने की प्रक्रिया शामिल है। जल संरक्षण के संबंध में, वर्षा जल संचयन और भूमिगत जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने हेतु जल शक्ति अभियान: कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी जैसे प्रमुख कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

(ग) और (घ): छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डाटा, प्रौद्योगिकी और नवाचार छत्तीसगढ़ में जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्नत डाटा प्रणाली का उपयोग जल के रूझानों को समझने, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की योजना बनाने और संसाधनों के अनुकूल आवंटन की दिशा में सहयोग करता है। डाटा-आधारित जल अभिशासन को सुदृढ़ करने हेतु राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) और राज्य जल सूचना केंद्र (एसडब्ल्यूआईसी) को मंजूरी दी गई है।

छत्तीसगढ़ में जल संसाधनों की निगरानी और संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कई आधुनिक तकनीकी पहल की शुरूआत की गई है। धमतरी और राजनंदगांव जिलों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित जल संरक्षण योजनाओं को लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, जल संसाधनों की बेहतर निगरानी, आयोजना और प्रबंधन सक्षम बनाने हेतु राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत राज्य भर में वास्तविक डाटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटीडीएएस) को स्थापित किया गया है।

(ङ) एवं (च): छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि जल संचय जन भागीदारी पहल के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विभिन्न वित्त पोषण स्रोतों और जन सहभागिता के माध्यम से कुल 2,62,751 भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। राजनंदगांव, रायपुर, बिलासपुर, बलौदा बाजार और रायगढ़ के जिलों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए भूजल पुनर्भरण प्रयासों के लिए देश में शीर्ष दस में अपना स्थान सुनिश्चित किया है।

झारखंड सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में सभी जिला कलेक्टरों को जल संचय जन भागीदारी पहल के कार्यान्वयन हेतु समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय निकायों के माध्यम से जनता को जल संचयन और संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए संवेदनशील और प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जल संचय जन भागीदारी पहल की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाने हेतु, छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के सहयोग से भूजल पुनर्मूल्यांकन हेतु एक जीआईएस -आधारित निर्णय लेने संबंधी कार्यढांचे को लागू करने की योजना बना रही है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत विशेष रूप से राजनंदगांव और धमतरी जिलों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, जहां जल संरक्षण और पुनर्भरण कार्यनीतियों में सुधार हेतु लक्षित कार्यकलाप किए जाएंगे।

(छ) और (ज): छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के जल उपचार संयंत्रों में वर्तमान में डिज़ाइन-बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफ़र (डीबीओटी) मॉडल उपयोग नहीं किया जा रहा है। तथापि, छत्तीसगढ़ सरकार इस मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र के विशेषज्ञता का लाभ उठाने की संभावनाओं का पता लगा रही है ताकि जल प्रबंधन में दक्षता और स्थिरता को बढ़ाया जा सके।

*****